न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुमन सोनल (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2022/443

मुकदमा नम्बर 96/2022 दर्ज दिनांक–13.09.2022

नागर उर्फ मोहम्मद हबीब पुत्र सुख देवा उर्फ शकूर अहमद जाति ढाढी (मिरासी) निवासी नवलडी तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री महेश कुमार नारनोलिया

वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 24.02.2023

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम नवलडी पटवार हल्का नवलडी कि सरहद में भूमि खाता सं. नया 206 पुराना 111 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 269 रकबा 1.30 है0, ख.नं. 274 रकबा 0.1000है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.40 है0 तथा खाता सं. न्या 207 पुराना 112 के अन्तर्गत भूमि ख.नं. 272 रकबा 1.62 है0 जिसमें आवेदक का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे नागर पुत्र सुखदेवा दर्ज है। उक्त खसरा भूमि के राजस्व रिकार्ड में नागर पुत्र सुखदेवा कि जगह मोहम्मद हबीब पुत्र शकूर अहमद दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक कि और से पैरो. राज. उपस्थित हो रिपोर्ट भू.अ. 123 दिनांक 17/01/2023 पेश कि गई जिसके अनुसार प्रार्थी नागर पुत्र सुखदेवा कौम ढ़ाढ़ी का सही नाम का वास्तविक व सही नाम मो. हबीब पुत्र सकूर अहमद है।

पत्रावली पर प्रा. पत्र के समर्थन मे प्रस्तुत शपथ पत्र, दस्तावेजो तथा तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र साबित पाया जाता है।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार कर, ग्राम नवलडी पटवार हल्का नवलडी कि सरहद में भूमि खाता सं. नया 206 पुराना 111 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 269 रकबा 1.30 है0, ख.नं. 274 रकबा 0.1000है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.40 है0 तथा खाता सं. न्या 207 पुराना 112 के अन्तर्गत भूमि ख.नं. 272 रकबा 1.62 है0 जिसमें आवेदक का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे नागर पुत्र सुखदेवा दर्ज है। उक्त खसरा भूमि के राजस्व रिकार्ड में नागर पुत्र सुखदेवा कि जगह मोहम्मद हबीब पुत्र शकूर अहमद दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। पृथक से तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

Scanned with CamScanner

UR
MLB
9.1.2023

सेवा में,
श्रीमान तहसीलदार (भू.अ.) महोदय,
नवलगढ़।

विषय:- उनवानी प्रकरण नागर बनाम तहसीलदार मुकदमा नम्बर 96/22 अ० धा० 136 में तथ्यात्मक रिपोर्ट बाबत।

प्रसंग:- श्रीमानजी के कार्यालय आदेश क्रमांक (भू०अ०) 2246 दिनांक 21.9.22 के प्रसंग में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व ग्राम - नवलड़ी की वर्तमान जमाबंदी चौसाला के खाता संख्या 206 ख० नं० 219 रकबा 1.30 हे०, ख०नं० 274 रकबा 0.10 हे० किता ② कुल रकबा 1.40 हे. एवं खाता संख्या 207 ख०नं० 272 रकबा 1.62 हे० के संयुक्त खाते में खातेदार नागर पुत्र सुखदेवा हिस्सा 1/8 जाति - दाढ़ी सा० देह खातेदार के रूप में अंकित है। जबकि श्रीमानजी के आदेश की पालना मे प्रश्नगत भूमि व रेकर्ड के संबंध मे मौका निरीक्षण एवं तथ्यात्मक जाँच में पाया कि नागर पुत्र सुखदेवा नाम के खातेदार का वास्तविक ~~नाम~~ व सही नाम मो० हबीब पुत्र सब्बुर अहमद कौम - दाढ़ी है जिनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता पास-बुक इत्यादि दस्तावेज भी मो० हबीब पुत्र सब्बुर अहमद के नाम से ही बने है। उक्त जाँच मे भूमि के संयुक्त खातेदारों एवं मजमे आम मे पूछताछ मे भी पाया कि नागर पुत्र सुखदेवा कौम दाढ़ी का वास्तविक व सही नाम मो० हबीब पुत्र सब्बुर अहमद कौम दाढ़ी ही है।

अतः जाँच रिपोर्ट तैयार कर श्रीमानजी को सादर प्रेषित है।

[signature]
06/01/2023
पटवारी - नवलड़ी

मो० हबीब
मो० सद्दीक
[signature]
मो० रफीक
[signature]
[signature]

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) नवलगढ़ (झुंझुनूं)
क्रमांक (भू.अ.) 123 दिनांक: 17.01.23

मूल ही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय नवलगढ़ को बाबत सादर प्रेषित है।

[signature]
तहसीलदार (भू.अ.)
नवलगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

क्रमांक/राजस्व/तहरीर/22/540 दिनांकः— 13/9/22

प्रति:—

तहसीलदार,

नवलगढ।

विषयः—उनवानी प्रकरण नागर बनाम तहसीलदार मुकदमा नम्बर 96/22 अ0धा0 136 में तथ्यात्मक रिपोर्ट बावत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उनवानी प्रकरण नागर बनाम तहसीलदार मुकदमा नम्बर 96/22 अ0धा0 136 मे प्रार्थना पत्र की छाया प्रति सलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि व रेकार्ड के सम्बन्ध मे मौका निरीक्षण एवं उक्त सम्बन्ध में तथ्यात्मक मय अभिशंषा रिपोर्ट आगामी आगामी 7 दिवस में कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

संलग्नः—

प्रा0 पत्र की छाया प्रति

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

क्रमांक / राजस्व / तहरीर / 23 / 157 दिनांकः- 17-4-23

प्रेषित -

तहसीलदार,

नवलगढ़।

विषयः-उनवानी प्रकरण नागर बनाम राज. सरकार मुकदमा नम्बर 96/2022 अ0धा0 136 की पालना किये जाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उनवानी प्रकरण नागर बनाम राज. सरकार मुकदमा नम्बर 96/22 अ0धा0 136 मे निर्णय दिनांक 24/2/23 को हो चुका है। अतः निर्णय की प्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की जाकर पालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न.-

प्रा0 पत्र की छाया प्रति

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned with CamScanner